RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 06/2025

प्रार्थी–

राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी–

श्री मोहम्मद इक्तकार आलम पुत्र श्री मो. समीरूदीन निवासी किषनगंज, बिहार (हाल मैसर्स जायका चिकन कॉर्नर, बालोतरा, जिला बालोतरा।)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित ।

आदेश

दिनांक : 26.03.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 04.12.2024 को श्री रामावतार पूनिया एवं रविन्द्रसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स जायका चिकन कार्नर, बालोतरा का निरीक्षण पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री मो. इक्तकार आलम उपस्थित मिले। मौके पर 5 व्यवसायिक गैर सिलेण्डर भट्‌टी से गैर पाईप लाईन से जुड़े पाए गए तथा 04 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर भंडारित पाए गये, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
1.	138579	Bharat	19.100	19.100	
2.	500317–1	Bharat	37.8	18.8	19
3.	EROSED	Bharat	19.300	19.300	
4.	EROSED	Bharat	19.00	19.00	
5.	59184 एस	Bharat	19.100	19.100	
6.	001245 एस	Bharat	19.200	19.200	
7.	0010252	Bharat	19.100	19.100	
8.	043028	Bharat	19.100	19.100	
9.	EROSED	Bharat	25	19.2	5.8

जिला कलक्टर
बालोतरा

2. मौके पर उक्त दुकान मे पाये गये व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर तथा बिना दस्वातेज उपयोग करने पर अवैध मानते हुए उक्त सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स चौधरी एच पी गैस एजेन्सी बालोतरा के प्रतिनिधि श्री विजय गौड़ को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक गैस सिलेण्डर बिना दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के उपयोग करने हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी) व 7(1) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया ।

4. अप्रार्थी स्वयं दौराने बहस कथन किया कि मेरे द्वारा दिनांक 23.12.2022 को दस्तावेज संख्या 4127547241 द्वारा भारत गैस एजेंसी के डीलर सुरज भार गैस एजेंसी से पांच सिलेण्डर का जायका चिकन कॉर्नर के नाम से कनेक्शन ले रखा तथा दस्तावेज संख्या 4127547271 द्वारा श्री अरोड़ा स्वीटस के नाम से पांच टंकियां का कनेक्शन ले रखा है। उक्त टंकिया में से दो टंकी में 5 किलो गैस तथा 7 टंकिया खाली थी। उक्त टंकियां मेरी स्वय की है तथा व्यावसायिक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए मेरी टंकिया वापस दिलाने का आदेश फरमावे।

5. हमने सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने तथा अवैध रूप से उपयोग करने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है, जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स चौधरी एच पी गैस एजेन्सी बालोतरा के प्रतिनिधि श्री विजय गौड को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी) व 7(1) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया ,जिससे यह साबित हो सके कि उक्त जब्तसुदा सिलेण्डर अप्रार्थी का है। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने तथा अप्रार्थी

जिला कलक्टर
बालोतरा

के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी) व 7(1) का उल्लंघन मे पाये गये उपरोक्त गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें।

7. आदेश आज दिनांक 26.03.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलेक्टर, बालोतरा